

मध्यप्रदेश

दैनिक भास्कर, इंदौर, रविवार, 27 सितंबर, 2026

न्यूज़ ब्रीफ

उज्जैन : गया कोठा तीर्थ में तर्पण के लिए लगी 500 मीटर लंबी लाइन



उज्जैन | पूर्वजों के आत्मा की शांति और तर्पण के लिए गया कोठा तीर्थ में श्राद्ध पक्ष के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शनिवार को सूर्योदय के साथ यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे थे, दोपहर तक श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई, स्थिति यह हो गई कि तर्पण विधि के लिए 500 मीटर ज्यादा लंबी लाइन लग गई। पहले दिन हजारों लोगों ने अपने-अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान किया। पंडों द्वारा विधि-विधान से तर्पण क्रिया करवाई गई। पंडितों के अनुसार गया कोठा तीर्थ में तर्पण विधि करने का विशेष महत्व है, इसलिए यहां देशभर से श्रद्धालु आते हैं।

भिंड : 30 घंटे में 2.24 इंच बारिश, खेतों में बिछी बाजरा की फसल



भिंड | जिले में पिछले 24 घंटे से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। बीते 30 घंटे में अंचल में 2.24 इंच बारिश दर्ज की गई। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से खेतों में खड़ी बाजरा की फसल प्रभावित हुई है। वाली निस्कल चुकी फसल खेतों में बिछ गई है। वहीं, लखर के आरुभी गांव में शनिवार सुबह कच्चा मकान गिरने से मलबे में दबकर चार बकरियों की मौत हो गई, जबकि मकान मालिक का 14 वर्षीय बेटा घायल हो गया। उसे लखर अस्पताल में इलाज के बाद दतिया रेफर किया गया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय रहने के बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

बुरहानपुर : डोईफोड़िया में नीम के पेड़ पर दिखा रीठ, सुबह से ग्रामीणों में दहशत



डोईफोड़िया (बुरहानपुर) | खकनार के ग्राम नगर में शनिवार सुबह एक रीठ नीम के पेड़ पर बैठ दिखाई दिया। रीठ को पेड़ पर देखकर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। करीब दो घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने और जंगली जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखने की मांग की है, ताकि किसी तरह की अग्रिय घटना न हो।

बेटियों का संघर्ष बढ़वानी : शिकायतें लेकर एक किमी पैदल कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राएं



भास्कर न्यूज़ | बढ़वानी

बढ़वानी के संयुक्त वालिका छात्रावास की करीब 150 छात्राएं शनिवार को मूलभूत सुविधाओं की बदहाली से तंग आकर सड़क पर उतर आईं। छात्राएं करीब एक किमी पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं और जमकर प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि छात्रावास में उन्हें पीने का पानी, गुणवत्तापूर्ण खाना और बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो रही हैं। कलेक्टर को बुलवाने की मांग कर रही छात्राओं से जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त प्राना सिंह ने चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना और हल करने का आश्वासन दिया।

अशोकनगर : 50 छात्राओं को शाम तक भूखा रख सिर्फ 2-2 केले थमाए



भास्कर न्यूज़ | अशोकनगर

मंच से सेवा, समाधान और संवेदनशीलता के संदेश दिए जा रहे थे, लेकिन इसी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचीं 50 स्कूली छात्राओं को दोपहर से शाम तक भूखा बैठे रहना पड़ा। खाने के नाम पर उन्हें सिर्फ दो-दो केले दिए। मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि ये बच्चियां अपने मां से किसी निजी आयोजन में नहीं पहुंची थीं। उन्हें स्कूलों से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। यानी उनकी उपस्थिति किसी न किसी प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा थी।मामले में जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुरभि जैन से सवाल किया गया तो उन्होंने भी बच्चियों को इस तरह बैठाए रखने के घटनाक्रम को गलत माना। उन्होंने बच्चियों के लिए खाने की व्यवस्था कराने की बात कही।

उज्जैन : विसर्जन स्थल पर डेढ़ फीट ही पानी; ऊपर ही दिख रही प्रतिमाएं



उज्जैन | गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए उज्जैन नगर निगम की तैयारियां बौनी साबित हुईं। शुक्रवार को तय स्थानों पर प्रतिमा विसर्जन की जगह निगम की गाड़ियों में रखवाई गईं। शनिवार को विसर्जन का मामला विवादों में खिर गया। निगम ने जहां विसर्जन की व्यवस्था की, वहां नदी में पानी इतना कम था कि छोटी प्रतिमाएं भी पूरी तरह विसर्जित नहीं हो पाईं। वहीं पारंपरिक विसर्जन स्थल मंगलनाथ मंदिर के नए पुल पर बड़ी प्रतिमाओं को विसर्जित करने से रोका। इससे आयोजक सहित लोग भड़क गए और विवाद की स्थिति बनी। पुलिस के पहुंचने के बाद क्रेन से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कराया गया। नगर निगम ने केडी फैलेस के पास नदी में प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था की थी। यहां क्रेन व अन्य ईंतजाम किए, किंतु नदी में करीब डेढ़ फीट ही पानी था। कई छोटी प्रतिमाएं भी पानी में ऊपर ही दिखाई दे रही हैं।



देवास के तालाब में भी पर्याप्त पानी नहीं



देवास | कालूखेड़ी तालाब पर व्यवस्था की थी। कम बारिश के कारण तालाब में पर्याप्त पानी नहीं है और कचरा भी जमा है। शुक्रवार रात विसर्जित की गई बड़ी मूर्तियां शनिवार सुबह सतह पर तैरती नजर आईं।

न्यायिक शिक्षा पर वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस शुरू न्यायपालिका न कभी विफल हुई, न कभी होगी : जस्टिस मिश्रा



डोपफेक के दौर में असली-नकली की पहचान कठिन, समझ का दायरा बढ़ाएं

भास्कर न्यूज़ | ग्वालियर

‘न्यायपालिका इस देश में कभी विफल नहीं हुई और न कभी विफल होगी।’ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने शनिवार को ग्वालियर में न्यायिक शिक्षा पर शुरू हुई दो दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश और समाज के सामने नई व जटिल चुनौतियां आ रही तो न्यायपालिका उनका समाधान तलाशेगी और लोकतंत्र व नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में आगे खड़ी रहेगी। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में ‘न्यायिक शिक्षा के विस्तृत होते क्षितिज’ पर आयोजित सम्मेलन में बदलती तकनीक, नए साक्ष्य और न्यायिक प्रशिक्षण की नई जरूरतों पर चर्चा हुई। नेशनल जूडिशियल एकेडमी, मद्रास हाई कोर्ट और मद्रास राज्य न्यायिक अकादमी इसका संयुक्त आयोजन कर रहे हैं। ग्वालियर में इस स्तर का सम्मेलन पहली बार हो रहा है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि डोपफेक और डिजिटल साधनों के दौर में असली-नकली की पहचान कठिन होती जा रही है। अपराधी भी ज्यादा चतुर और तकनीकी रूप से सक्षम हो रहे हैं। अदालतों के सामने ऐसे सवाल आ रहे हैं, जिनका सीधा समाधान पुराने फैसलों में नहीं मिलता। ऐसे में जजों को भी अपने ज्ञान और समझ का दायरा लगातार बढ़ाना होगा।

उन्होंने कहा हर नई चुनौती के लिए नया कानून बनने का इंतजार नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों को मौजूदा और दशकों पुराने कानूनों की नई परिस्थितियों के अनुरूप व्याख्या करने की क्षमता विकसित करनी होगी। सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के चार जजों के अलावा मद्रा, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र के न्यायाधीश शामिल हुए। युवा जजों से तकनीक सीखें वरिष्ठ –जस्टिस अनिरुद्ध बोस : नेशनल जूडिशियल एकेडमी के निदेशक और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने स्वागत उठाया कि न्यायिक अकादमियां पहले से तय पाठ्यक्रम तक सीमित रहें या अदालतों की रोज बदलती जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षण भी बदलें। उनका सुझाव था कि सीखने की प्रक्रिया दोतरफा हो। वरिष्ठ जज युवा न्यायाधीशों से आधुनिक तकनीक सीखें और युवा जज वरिष्ठों के अनुभव से कानून की बारीकियां समझें।

कोगेज बोले- न्यायिक कौशल जन्मजात नहीं, सीखने से विकसित होता है : मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगेज ने कहा कि न्यायिक कौशल जन्मजात नहीं होता। इसे लगातार सीखने और अभ्यास से विकसित करना पड़ता है। उन्होंने AI और IT के नए उपयोग पर जोर दिया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि न्यायिक शिक्षा पद की शपथ लेने के दिन से शुरू होने वाली निरंतर प्रक्रिया है। नए कानून, साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा जैसे विषयों से न्यायाधीशों को लगातार अपडेट रहना होगा।

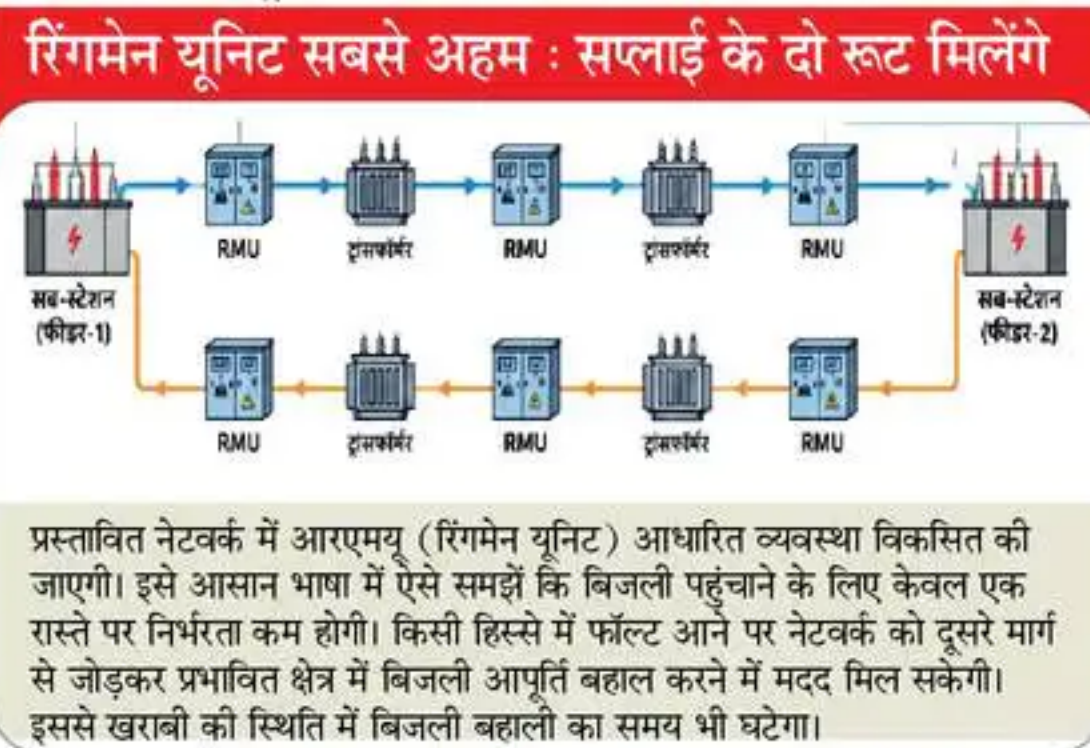
इंदौर-भोपाल समेत 5 शहरों में भूमिगत होगा बिजली नेटवर्क, फॉल्ट होंगे कम

पूरे नेटवर्क की जीआईएस मैपिंग होगी, खराबी ढूँढना व रखरखाव होगा आसान, डीपीआर 90 दिन में

अमर दुबोरेलिया | भोपाल

मध्यप्रदेश के पांच बड़े शहरों में बिजली वितरण व्यवस्था अब खर्बों के जाल से निकलकर आधुनिक भूमिगत नेटवर्क की ओर बढ़ेगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन के लिए 90 दिन में इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी। इसमें शहरों की 11 केवी और 400 वोल्ट की एलटी ओवरहेड लाइनों को भूमिगत केबल नेटवर्क में बदलने की योजना शामिल होगी। इससे न सिर्फ शहर की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि आंधी-बारिश के दौरान पेड़ गिरने, तार टूटने या घरे बंधे क्षतिग्रस्त होने से होने वाले फॉल्ट कम होंगे।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि बिजली वितरण नेटवर्क को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत करना जरूरी है। भूमिगत केबल, आधुनिक स्विचिंग व्यवस्था और डिजिटल मैपिंग से उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति देने की दिशा में मदद मिलेगी।



प्रस्तावित नेटवर्क में आरएमयू (रिंगमेन यूनिट) आधारित व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें कि बिजली पहुंचाने के लिए केवल एक रास्ते पर निर्भरता कम होगी। किसी हिस्से में फॉल्ट आने पर नेटवर्क को दूसरे मार्ग से जोड़कर प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल करने में मदद मिल सकेगी। इससे खराबी की स्थिति में बिजली बहाली का समय भी घटेगा।

संपत्ति का तैयार होगा डिजिटल रिकॉर्ड

- बिजली नेटवर्क की जीआईएस मैपिंग और एसेट टैगिंग भी होगी। हर उपकरण और अन्य संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा।
- इसका फायदा यह होगा कि किसी फॉल्ट की स्थिति में संबंधित नेटवर्क की पहचान और लोकेशन तेजी से की जा सकेगी।
- रखरखाव के दौरान भी कर्मचारियों को पता रहेगा कि कहाँ कौन-सा उपकरण है।
- भविष्य में नए कनेक्शन, क्षमता बढ़ाने और नेटवर्क विस्तार की योजना बनाने में भी डिजिटल रिकॉर्ड मददगार होगा।

डीपीआर में मौजूदा नेटवर्क, भविष्य की मांग, फॉल्ट वाले क्षेत्र और जरूरतों का आकलन किया जाएगा। नक्स केबल ओवरहेड तार हटाना नहीं है। इसमें पांचों शहरों में बिजली नेटवर्क को इस तरह बदलना है, जिसमें 4 प्रमुख आधार होंगे।

विशेष गढ़पाले, सचिव ऊर्जा

मिक्सर लिफ्ट मशीन हाई टेंशन लाइन से टकराई, ठेकेदार सहित 2 की मौत

कुरावा (ब्यावरा) | पौलुखेड़ी में पंचायत भवन मार्ग पर आरसीसी का काम चल रहा था। ठेकेदार सलमान पिता इब्राहिम खान निवासी शाहूखेड़ी अपने कर्मचारियों के साथ मिक्सर लिफ्ट मशीन को आगे-पीछे कर रहा था। इसी दौरान मशीन ट्रेड्री होकर हाईटेंशन लाइन से टकरा गई। घटना में ठेकेदार सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आसपास के लोग घायलों को लेकर तुरंत समीप के अस्पताल पहुंच गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को भोपाल रेफर कर दिया गया। मिक्सर लिफ्ट मशीन की ऊंचाई काफी अधिक थी। ऐसे एडजेंस्ट करने के लिए ठेकेदार की मदद से मशीन को आगे-पीछे किया जा रहा था। इसी दौरान मशीन अचानक ट्रेड्री हो गई।

सीएम सुगम बस परिवहन योजना : इंदौर-उज्जैन के यात्रियों को राहत सिर्फ 5 रु., बसों की हालत खराब

भास्कर न्यूज़ | उज्जैन

मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन योजना के तहत शनिवार से इंदौर से उज्जैन के लिए बसों का संचालन शुरू हो गया है। फिलहाल इस रूट पर संचालित हो रही बसों की हालत खराब है। किराए में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। जहाँ निजी बस ऑपरेटर नॉन एसी बस में इंदौर से उज्जैन का किराया 115 रुपए वसूल रहे हैं, वहीं सीएम सुगम बस परिवहन योजना के तहत संचालित हो रही नॉन एसी बसों का किराया 110 रुपए है। यात्रियों को सिर्फ 5 रुपए का फायदा मिल रहा है। सरकार ने इंदौर-उज्जैन के लिए एसी बस का किराया 168 रुपए तय किया है। यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए योजना में शामिल बस संचालक 18 रुपए का घाटा उठाते हुए सिर्फ 150 रुपए ही ले रहे हैं। वहीं इस योजना के तहत चल रही बसों की हालत भी ठीक नहीं है, बस की सीढ़ियां टूटी हैं, सीट में छेद हो रहे हैं। वहीं ड्राइवर कैबिन की स्थिति भी बदतर नजर आई।

एसी हैं बसों की स्थिति



पीपीपी मॉडल पर हो रहा संचालन

मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा पीपीपी मॉडल पर संचालित हो रही है। इसमें बसें निजी ऑपरेटरों की होंगी, जबकि परमिट, रूट, किराए और समय-सारणी का नियंत्रण सरकारी कंपनी (मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) के हाथ में है। इन बसों का वेस किराया लगभग 2 रुपए प्रति किलोमीटर तय किया है। पहले साल में 1,500 बसें तथा वर्ष 2031 तक प्रदर्शन में 15,000 बसें चलाने और 75% ग्राम पंचायतों को सीधे बस कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य है। उधर, उज्जैन दर्शन बस सेवा योजना की शुरुआत रविवार से होगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने माहन यात्रक सुबह 11.15 बजे महाकाल अम्रक्षेत्र से 10 बसों को हरी झंडी दिखा रवाना करेंगे।

कार की गति अचानक हुई तेज ट्रक से टकराई, 5 की मौत, स्टेयरिंग फ्री मिला

भास्कर न्यूज़ | छतरपुर

कानपुर-सागर नेशनल हाईवे पर शनिवार को मातुगुवा थाना क्षेत्र के चौका गांव के पास तेज रफ्तार कार और ट्रक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। सभी मृतक बिजावर के खटव्याना



दुर्घटनाग्रस्त कार की यह स्थिति हो गई।

मोहल्ला निवासी थे। वे बगौत में अपनी रिश्तेदारी

में अंतर्धत्ते में शामिल होने के लिए बिजावर से निकले थे, लेकिन बगौता पहुंचने से पहले ही हादसा हो गया। घटनास्थल पर मौजूद रणौली निवासी कैलाश कुरावाबा छतरपुर से अपने गांव की ओर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके सामने ही कार की रफ्तार अचानक तेज हुई और वह लगतार दिशा में पहुंचकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। कैलाश के अनुसार उन्हें घटना को देखकर स्टेयरिंग फेल होने की आशंका लगी रही है। अधिकारियों ने स्टेयरिंग चेक किया। स्टेयरिंग पूरी तरह फ्री मिला।

केनरा बैंक Canara Bank
बैंक ऑफ़ इंडिया Group Member

संकेतिक सिंडिकेट

केनरा बैंक, स्पेशलाइज्ड, ए.आर.एम. शाखा, प्लॉट नं. 4, पीएसपी एरिया, एम्स के पास, साकेत नगर, भोपाल फोन : 8989014648

ई-नीलामी सूचना

परिशिष्ट - IV क [नियम 8(6) एवं 9 का पल्लुकर देखें]

चल/अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के अनुरांत

अचल संपत्तियों की विक्री हेतु विक्रय सूचना

आम जनता को साधारणतः एवं निम्न वर्णित अचल संपत्तियों के खरीदों एवं जमानतदारों को विशेषतः सूचित किया जाता है कि निम्नवर्तित संपत्तियां केनरा बैंक (सुरक्षित लेनदार) के पास बेचक है तथा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों का उसके कब्जा ले लिया गया है। निम्नवर्तित संपत्तियों का विक्रय दिनांक **22/10/2026** को **केनरा बैंक (सुरक्षित लेनदार)** के बकाया राशि को वसूल करने हेतु “जैसा है वहां है, जो है जैसा है” एवं “जो कुछ भी है” के आधार पर किया जा रहा है।

शाखा एवं खाते/ जमानतदार का नाम	संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम	मांग सूचना दिनांक/ कब्जा दिनांक/ बकाया राशि	आरंभित मूल्य/ धरोहर राशि/ बिड बढ़ने की राशि
श्रेणी : मेसर्स ओवैस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग लिमिटेड, (पूर्व में मेसर्स ओवैस अली ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) द्वारा डायरेक्टर: 1. श्री सैयद ओवैस अली पुत्र सैयद अख्तर अली (डायरेक्टर/जमानतदार) 2. श्री सैयद अख्तर अली पुत्र वाहिद अली (डायरेक्टर/जमानतदार/ बंधककर्ता) 3. श्री सैयद मुर्तुजा अली पुत्र सैयद अख्तर अली (डायरेक्टर/जमानतदार) सभी का पता: 01, वाहिद खिला, वाहिद नगर, पुराना जावरा, वाघपासा रोड, रत्नलम (म.प्र.)- 457001	संपत्ति क्र. 1 प्लॉट नं. 58 ए संपत्ति का समस्त भू भाग लीज भूमि (भूमि एवं भवन) स्थित इण्डस्ट्रियल प्लॉट नंबर 58ए, औद्योगिक विकास केंद्र मेघनगर, जिला झाबुआ म.प्र. प्लॉट क्षेत्रफल- 6000 वर्गमीटर, चतुर्सीमाएं: उत्तर: सड़क, दक्षिण: प्लॉट नंबर 58, पूर्व: प्लॉट नंबर 59, पश्चिम: प्लॉट नंबर 57, शौचिक धारक का नाम: मेसर्स ओवैस अली ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर श्री सैयद अख्तर अली एवं प्लॉट नं. 57 : संपत्ति का समस्त भू भाग लीज भूमि (भूमि एवं भवन) स्थित इण्डस्ट्रियल प्लॉट नंबर 57, औद्योगिक विकास केंद्र मेघनगर, जिला झाबुआ म.प्र. प्लॉट क्षेत्रफल- 9948 वर्गमीटर, चतुर्सीमाएं: उत्तर: सड़क, दक्षिण: सड़क, पूर्व: प्लॉट नंबर 58, पश्चिम: प्लॉट नंबर 56, शौचिक धारक का नाम: मेसर्स ओवैस अली ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर श्री सैयद अख्तर अली BAANKNET PROPERTY ID: CNR80AWAISMETAL1 COORDINATES: 22.914284, 74.55159 सांकेतिक कब्जा	23.03.2026 08.06.2026 दि. 25/09/2026 को ₹ 3,48,92,795.66 +ब्याज एवं अन्य खर्च	₹ 3,18,00,000/- ₹ 31,80,000/- ₹ 10,000/-
श्रेणी : मेसर्स ओवैस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग लिमिटेड, (पूर्व में मेसर्स ओवैस अली ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) द्वारा डायरेक्टर: 1. श्री सैयद ओवैस अली पुत्र सैयद अख्तर अली (डायरेक्टर/जमानतदार) 2. श्री सैयद अख्तर अली पुत्र वाहिद अली (डायरेक्टर/जमानतदार/ बंधककर्ता) 3. श्री सैयद मुर्तुजा अली पुत्र सैयद अख्तर अली (डायरेक्टर/जमानतदार) सभी का पता: 01, वाहिद खिला, वाहिद नगर, पुराना जावरा, वाघपासा रोड, रत्नलम (म.प्र.)- 457001	संपत्ति क्र. 2 प्लॉट नं. 58 ए संपत्ति का समस्त भू भाग लीज भूमि (भूमि एवं भवन) स्थित इण्डस्ट्रियल प्लॉट नंबर 58, औद्योगिक विकास केंद्र मेघनगर, जिला झाबुआ म.प्र. प्लॉट क्षेत्रफल- 6000 वर्गमीटर, चतुर्सीमाएं: उत्तर: प्लॉट नंबर 58 का मार्ग, दक्षिण: प्लॉट नंबर 59, पश्चिम: प्लॉट नंबर 57, शौचिक धारक का नाम: मेसर्स ओवैस अली ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर श्री सैयद अख्तर अली BAANKNET PROPERTY ID: CNR80AWAISMETAL2 COORDINATES: 22.914284, 74.55 सांकेतिक कब्जा	23.03.2026 08.06.2026 दि. 25/09/2026 को ₹ 3,48,92,795.66 +ब्याज एवं अन्य खर्च	₹ 3,18,00,000/- ₹ 31,80,000/- ₹ 10,000/-

धरोहर राशि (ईएमएसी) जमा करने की अंतिम तिथि 21/10/2026 या उससे पूर्व सायं 5.00 बजे तक ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 22/10/2026, दोपहर 12.00 से दोपहर 2.00 बजे तक (5 मिनट के असीमित विस्तार पर)
(1) इच्छुक बोलीदाताओं को आरंभित मूल्य की 10% अंतिम राशि (ईएमएसी) सीट मेसर्स ओवैस अली ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (baanknet.com) पोर्टल के ई-नीलामे में जमा करनी होगी या चालान जारी करके कोठी जमा करने की उपरोक्त तिथि को उक्त चालान में उल्लिखित खाता विवरण में आर्टीजीएल/एनईएफटी के माध्यम से ईएमएसी जमा करने होगा।
(2) सरल बोलीदाता को किसी मूल्य का 25% (एकले से भूतलान को गई ईएमएसी सहित) उसके पक्ष में किसी होने के तुरंत बाद जमा करना होगा और शेष राशि किसी की भुक्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यदि सरल बोलीदाता उपरोक्त अनुसर विक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा जमा की गई राशि जमा कर दी जाएगी।
(3) सभी शुल्क, स्टंपर शुल्क/मीटर/एसी/पंजीकरण शुल्क आदि, जैसा लागू हो और कोई भी कर, राजस्व/किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को बकाया आदि केवल सरल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
(4) हाई सॉलिटि सर्टिफिकेट की मूल प्रति बैंक में जमा करनी होगी।
वित्तगत निवेश एवं शर्तों हेतु वेबसाइट <http://BAANKNET.com> देखें अथवा सम्पर्क करें:- मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक, स्पेशलाइज्ड, ए.आर.एम. शाखा, प्लॉट नं. 4, पीएसपी एरिया, एम्स के पास, साकेत नगर, भोपाल 8989014648, 8057766078, 9691096410, 9123403299 (मोबिला), 905027805 (जबलपुर एवं बिलासपुर), 7683068902 (रामपुर), 9140476074 (ग्वालियर), 9830130770 (इंदौर), 8073562574 (BHOPLA)
दिनांक : 25.09.2026, स्थान : भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक

बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र
भारत सरकार का उद्यम

अंचल कार्यालय : महाराष्ट्र साहित्य सभा भवन, 688, म.गं., मार्ग, इन्दौर, फोन नं. 0731-2433887, 2435924 E-mail : csmisc_ind@bankofmaharashtra.bank.in प्रधान कार्यालय : लोकमंजल 1501, शिवाजी नगर, पुणे -5

बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठनतथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आसितियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले को प्रत्याभूति-पता को यह नोटित दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों जो **बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र** (प्रतिभूति लेनदार) के पास निरकी / प्रचारित है, का भौतिक / सांकेतिक कब्जा **बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को “जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है” के आधार पर निम्नलिखित खरीदारों और जमानतकर्ताओं से **बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र** (प्रतिभूति लेनदार) को निम्नवत बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **15.10.2026** को बेचा जाएगा। ज्ञात क्रम पार (यदि कोई हो), सहित अचल संपत्ति, आरहित मूल्य और अग्रिम धनराशि का व्यौरा निम्नवत है।

क्र. सं.	कर्जदार / जमानतदार के नाम एवं शाखा	बकाया धनराशि एवं अन्य खर्च + एम्प्ले ब्याज एवं अन्य शुल्क / खर्च	सम्पत्ति का विवरण/ कब्जा स्वरूप
1.	1. मेसर्स सारथी ट्रेडर्स प्रोप. - श्री भावती प्रसाद पिता चंदर सिंह, 2. श्री भावती प्रसाद पिता चंदर सिंह, दोनों का पता:- 762, लोधी मोहला, कोदरिया, महु, इंदौर 453441 निवास का पता:- प्लॉट नं. 13, सरदार पटेल कॉलोनी, तहसील महु, पी.ओ.-राव, जिला:- इंदौर म.प्र. निमन:- 453441, 3. श्री चंदर सिंह पिता ईशर सिंह, 4. श्री हेमंत पिता चंदर सिंह, दोनों का पता:- प्लॉट नं. 13, सरदार पटेल कॉलोनी, तहसील महु, पी.ओ.-राव, जिला:- इंदौर म.प्र. निमन:- 453441 शाखा: कोदरिया, इंदौर (श्री तारकेश्वर नाथ रंजन, 7389433191 शाखा प्रबंधक)	कुल बकाया ₹ 2,17,19,049.00 +भविष्य ब्याज + अन्य शुल्क दिनांक 25.09.2026 से	सांयिक बंधक भूमि सर्वे नंबर 408/3 के समस्त भू भाग व अंश, पटवारी हल्का नंबर 23, गांव नुगुराडिया कोदरिया, तहसील महु, इंदौर (म.प्र.) 453441, क्षेत्रफल 0.137 हेक्टेयर, संपत्ति की चतुर्सीमा - उत्तर की ओर या उसकी तरफ- अन्य की तरफ- पश्चिम की ओर या उसकी तरफ- कोदरिया मेन रोड, दक्षिण की ओर या उसकी तरफ- अन्य की भूमि, सरसई आईडी: 200025733727, सांकेतिक कब्जा
2.	1. मेसर्स श्री गंगा फूड्स (प्रोपराइटर - श्री हेमंत मुकाती पिता चंदर सिंह), पता नम्बर 1: 762, लोधी मोहला, कोदरिया, महु, इंदौर 453441, पता नम्बर 2: मकान नम्बर 410/3, 411/3 और उस पर बना शेड, ग्राम नेजुगुराडिया, महु, इंदौर, मध्य प्रदेश 453441, निवास का पता: प्लॉट नम्बर 13, सरदार पटेल कॉलोनी, तहसील महु, डाकघर - राजू जिला - इंदौर, मध्य प्रदेश, पिन कोड: 453441, 3. श्री हेमंत मुकाती पिता श्री चंदर सिंह, पता: 762, लोधी मोहला, कोदरिया, महु, इंदौर 453441, निवास का पता: प्लॉट नम्बर 13, सरदार पटेल कॉलोनी, तहसील महु, डाकघर - राजू जिला - इंदौर, मध्य प्रदेश, पिन कोड: 453441, 4. श्री भावती प्रसाद पिता चंदर सिंह मुकाती, निवास का पता: प्लॉट नम्बर 13, सरदार पटेल कॉलोनी, तहसील महु, डाकघर - राजू जिला - इंदौर, मध्य प्रदेश, पिन कोड: 453441 शाखा: कोदरिया, इंदौर (श्री तारकेश्वर नाथ रंजन, 7389433191 शाखा प्रबंधक)	कुल बकाया ₹ 6,52,89,026.18 +भविष्य ब्याज + अन्य शुल्क दिनांक 25.09.2026 से	1. खसरा नम्बर 410/3, 411/3 पटवारी हल्का नम्बर 23, ग्राम नेजुगुराडिया, कोदरिया से चोरडिया रोड, महु, इंदौर (मध्य प्रदेश) 453441 में स्थित संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 0.281 हेक्टेयर, संपत्ति मालिक: श्री हेमंत मुकाती, श्री चंदर सिंह मुकाती और श्री भावती प्रसाद मुकाती, संपत्ति की चतुर्सीमा इस प्रकार है- उत्तर दिशा में - लक्ष्मी नारायण मुकाती की भूमि, पूर्व की ओर या उसकी तरफ- कोदरिया मेन रोड, दक्षिण की ओर या उसकी तरफ- अन्य की भूमि, सरसई आईडी: 200013725927, सांकेतिक कब्जा
	2. सर्वे नम्बर 387/3, पटवारी हल्का नम्बर 23, ग्राम नेजुगुराडिया, कोदरिया से चोरडिया रोड, महु, इंदौर (मध्य प्रदेश) 453441 में स्थित संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 5044.50 वर्ग मीटर, संपत्ति मालिक: श्री हेमंत मुकाती, संपत्ति की चतुर्सीमा इस प्रकार है- उत्तर दिशा में - लक्ष्मी नारायण मुकाती की भूमि, पूर्व दिशा में - कला		